पत्र संख्या-वैट/विधि-4(3)सामान्य पत्राचार-2009-10/1743/ 0910077 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 21 जनवरी, 2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-क0नि0-2-14/ग्यारह-9(1)/09 उ0प्र0 अध्या0-37-2008-आदेश(3)-2008 दिनांक 10-01-08 द्वारा उ0प्र0 वैट अधिनियम 2008 की अनुसूची-4 के क्रम सं0-6, 9, 10 व 11 पर अंकित डीजल, फर्नेस आयल, प्राकृतिक गैस और नेप्था की बिक्री करयोग्य वस्तुओं का निर्माण करने वाले व्यापारियों को कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र के विरुद्व बिक्री करने पर रियायती दर से कर देय होगा। इस विज्ञप्ति के प्राविधानों के अनुसार इस निमित्त फार्म-डी निर्धारित करते हुए एवं उसके रख-रखाव की प्रक्रिया इस मुख्यालय के परिपत्र सं0-वैट-फार्म-डी-रख-रखाव प्रक्रिया/07-08/511/वाणिज्य कर, उ0प्र0 (वैट अधिनियम) दि0 14-01-08 द्वारा निर्धारित की गयी थी, जिसे पत्र सं0 वैट-फार्म-डी-रख-रखाव प्रक्रिया/07-08/680/वाणिज्य कर, उ0प्र0 (वैट अनुभाग) दि0 13-03-08 द्वारा संशोधित किया गया था।

2- कतिपय सम्भागों से यह सूचना प्राप्त हुई है कि फार्म-डी के गुम हो जाने अथवा नष्ट होने की अवस्था में डुप्लीकेट फार्म-डी जारी करने के सम्बन्ध में क्या व्यवस्था होगी, यह स्पष्ट नहीं है। इसके संबंध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली के नियम 4 के उपनियम (6) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न व्यवस्था की जाती है :-

(1) प्रत्येक पंजीकृत व्यवहारी जिसे फार्म-डी जारी किया जाय, वह एक रजिस्टर में प्रत्येक ऐसे प्रमाण-पत्र का सही और पूर्ण विवरण रखेगा, यदि कोई प्रमाण-पत्र खो जाए, नष्ट हो जाय, या चुरा लिया जाय तो व्यवहारी इस तथ्य की सूचना तुरन्त कर निर्धारक प्राधिकारी को देगा, उपरोक्त रजिस्टर में समुचित प्रविष्टियॉ करेगा और इस प्रकार खो जाने, नष्ट हो जाने या चुरा लिये जाने की समुचित सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए कार्यवाही करेगा।

(2) यदि क्रेता व्यवहारी या पारेषिती द्वारा विक्रेता व्यवहारी या पारेषक को जारी किया गया, यथाविधि, भरा गया फार्म-डी मार्ग में विक्रेता व्यवहारी या पारेषक द्वारा खो जाय, तो क्रेता व्यवहारी या पारेषिती ऐसे विक्रेता व्यवहारी या पारेषक की मॉग पर उसे एक दूसरा फार्म-डी उसी रीति से जारी करेगा, जिस प्रकार मूल फार्म जारी किया गया हो।

(3) खोये हुए, नष्ट हुए एवं चोरी हुए प्रमाण पत्र के संबंध में कर निर्धारण अधिकारी सूचना/विवरण कमिश्नर वाणिज्य कर को व्यापारी से सूचना प्राप्त होने के तीनk दिन के अन्दर सूचित करेगा तथा कमिश्नर गजट में ऐसे प्रमाण पत्र के ब्योरे प्रकाशित करेगा।

(4) दुरुप्रयोग रोकने एवं राजस्व की सुरक्षा हेतु क्रेता व्यापारी से आवश्यकतानुसार इन्डमिनिटी बांण्ड लेना भी आवश्यक है।

(5) दूसरा प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व क्रेता व्यवहारी या पारेषक ऐसे द्वितीय प्रमाण पत्र के तीनों भागों पर लाल स्याही से लिखकर निम्नलिखित घोषणा करेगा और उस पर मोहर सहित यथाविधि हस्ताक्षर करेगा।

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि यह फार्म-डी संख्या----------की दूसरी प्रति है, जिस पर दिनांक ----------को हस्ताक्षर किया गया था और जिसे सर्वश्री---------- ---------- को ----------रुपये----------के मूल्य के (माल का विवरण)----------के सम्बन्ध में जारी किया गया था।

हस्ताक्षर
(नाम व पद सहित)
फर्म / कम्पनी की मोहर

3- कृपया उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

2/11/10
(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक – उक्त।
प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. श्री एच0एन0 राव/श्री एस0सी0द्विवेदी संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3. अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0।
4. समस्त एडीशनल कमिश्नर/ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
5. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
6. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)/(वि0अनु0शा0)/(अपील)/कॉरपोरेट सर्किल/ऑयल सेक्टर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
8. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, गाजियाबाद।
9. ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर, उच्च न्यायालय कार्य, वाणिज्य कर, इलाहाबाद/लखनऊ।
10. मैनुअल अनुभाग/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5–5 तथा 10 प्रतियां।
11. विधि अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को 25 प्रतियां।
12. समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।

(वाई0एस0 सिंह)
ज्वाइंट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।